भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1588
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अदरक को शामिल किया जाना
1588. श्री श्रेयस एम. पटेलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अदरक को शामिल किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कुछ राज्यों या जिलों में इसे बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार, किसान संगठनों या जनप्रतिनिधियों से पीएमएफबीवाई के तहत अदरक को शामिल करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(घ) क्या सरकार ने बीमारियों, कीटों, अत्यधिक वर्षा, सूखे, बाढ़ और बाजार संबंधी जोखिमों के कारण अदरक उत्पादकों को हुए नुकसान का आकलन किया है;
(ङ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक और अदरक उत्पादक अन्य क्षेत्रों में पीएमएफबीवाई के तहत एक बीमित फसल के रूप में अदरक को शामिल करने का या अदरक पैदा करने वाले किसानों के लिए एक उपयुक्त फसल बीमा पैकेज प्रदान करने का है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी अपेक्षित समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है बशर्ते कि फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर आधारित अपेक्षित वर्षों के पिछले उपज संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता हो और साथ ही राज्य सरकार के पास अपेक्षित संख्या में CCE करने या दावों की गणना के लिए फसल की उपज का आकलन करने वाले यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) अपनाने की क्षमता हो।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत दावों का भुगतान मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

तथापि, उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट फसल को अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020-21 से कर्नाटक के बीदर, हावेरी, शिवमोगा और उत्तर कन्नड़ जिलों में अदरक को अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों में भी अदरक को अधिसूचित किया गया है।

(घ): RWBCIS को मौसम सूचकांक आधारित दृष्टिकोण के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत बीमा दावों का निर्धारण केवल अधिसूचित मौसम मापदंडों में विचलन जैसे कम और अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि के आधार पर किया जाता है, जिन्हें फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है और जिन्हें निर्धारित रेफरेंस और बैकअप मौसम स्टेशनों पर दर्ज किया जाता है, जैसा कि स्वीकृत टर्म शीट में निर्दिष्ट है। इस योजना के अंतर्गत बाजार संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

(ङ) और (च): किसी विशिष्ट फसल की अधिसूचना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और तदनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अदरक को अधिसूचित किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
